Ex.P.-464

कथन – सुबोध कुमार टावरी

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09 / 15
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	सुबोध कुमार पिता स्व.श्री रमेश लाल टावरी
उम्र	–	34 वर्ष
पता	–	स्टेशन रोड वार्ड नं. 2 बालोद जिला बालोद
मोबाईल नं0	–	94241–10191
व्यवसाय	–	सह संचालक, माहेश्वरी ट्रेडर्स देवार भाट (झलमला) जिला बालोद

—00—

मैं सुबोध कुमार टावरी पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं माहेश्वरी ट्रेडर्स का सह संचालक हूँ। यह मिल मेरे चाचा जी केसरीमल टावरी प्रोपाइटर की है तथा मिल का मालिक लक्ष्मण सिंह साहू (गंगामैया राईस मिल) है । जिससे एक लाख रूपये वार्षिक किराये पर लिये है। मिल की क्षमता एक टन प्रति घंटा है। मैं इस मिल को जनवरी 2014 से संचालित कर रहा हूं। वर्ष 2014–15 में मार्फेड से 20000 क्विंटल धान का अनुंबंध हुआ है। अभी तक 24 लाट चांवल नान में जमा किये है। नान का गोदाम बालोद में है। बालोद के गोदाम में स्पेस की समस्या हमेशा बनी रहती है। जगह नही होने के कारण नान के डौण्डी गोदाम में भेजती है। ट्रांसपोटिंग खर्च एवं धान का मिलिंग बिल मार्फेड डीएमओ से मिलता हैं। बालोद में क्वालिटी इंस्पेक्टर अशोक कंवर, भारती साहू और जायसवाल तथा जिला प्रबंधक तिवारी जी थे नाम याद नही है छापा के बाद शर्मा जी आये हैं। नान के गोदाम में चांवल को अनलोड करने एवं स्टेकिंग के लिये हमालो को बालोद में 2800 रूपये तथा डौण्डी में 3500 रूपये प्रति लाट हमालो के प्रमुख को देता हूँ। मेरे द्वारा नान में चांवल मानक स्तर पर तैयार कर दिया जाता है। अमानक स्तर के होने से मेरा एक लाट चांवल को रिजेक्ट कर दिया गया। बालोद में मैंने नान के अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का लेने देन नही किया हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर (छ.ग.)